

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10359/1281
सेवा में,

दिनांक: 14/08/2023

वन मण्डल अधिकारी,
करनाल।

विषय: Diversion of 0.014 ha. of forest land for Construction of Change of alignment of Karnal Munak road MDR-115 km 24.375 to 25.200 (Balance work), under forest Division and Disitric Karnal, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Road/146422/2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको भारत सरकार के पत्र क्रमांक 9-HRB109/2022-CHD दिनांक 02.05.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा लगाई गई आपत्तियों की मद संख्या (ii) की पूर्ण सूचना "Justification regarding how the fencing of 0.44 RKM will provide protection, in this regard DFO has stated that CA Site will be developed as Land Bank. Neither KML file of Land Bank has been provided nor details for the same has been submitted, hence, resubmission is required." ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करें ताकि प्रस्ताव में आगामी कार्रवाई की जा सकें।
संलग्न/उपरोक्त।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला।
11/8/23

पृ०क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-10359/1282

दिनांक : 14/08/2023

एक प्रति प्रयोक्ता एजेंन्सी The Executive Engineer. Provincial Division PWD B&R,
District Karnal, Haryana को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित है।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला
11/8/23



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,
Chandigarh



155

फाइल नम्बर: 9-HRB109/2022-CHA
सेवा में



दिनांक: May, 2023

नोडल ऑफिसर एवं अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला, हरियाणा।

विषय: Diversion of 0.014 ha for forest land for construction of change of alignment of Karnal Munak road MDR-115 km 24.375 to 25.200 (Balance work) under Forest division and District Karnal, Haryana. (Online Proposal No FP/HR/Road/146422/2021)-regarding.

सन्दर्भ: i). अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार के पत्र संख्या प्रशा-डी-III-10359/77 दिनांक 17.04.2023.
महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बंधित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.014 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.06.2022 के बिंदु संख्या (v) और (vii) का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:-

- Approval for the balance portion work for which the proposed change in the alignment is done, has not been submitted.
- Justification regarding how the fencing of 0.44 RKM will provide protection, in this regard DFO has stated that CA Site will be developed as Land Bank. Neither KML file of Land Bank has been provided nor details for the same has been submitted, hence, resubmission is required.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

Signed by Raja Ram Singh

Date: 02-05-2023 17:04:07

Reason: Approved

भवदीय

-sd-

(राजा राम सिंह)

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

- The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Karnal, Haryana(dfo.knl-hry@nic.in).
- The Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R, District Karnal, Haryana. (sdep1karnal@gmail.com)